न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 153/17

तारीख रजू :– 19.12.17

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

गिर्राज पुत्र छाज्या, जाति मीना, निवासी खेडी तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0।

वादी

बनाम

1 पंजाब नेशनल बैक टोडाभीम जरिये, मैनेजर पंजाब नेशनल बैक टोडाभीम जिला करौली राज0।

2 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् रहन मुक्त करने आराजी</u>

उपस्थित :– 1 सुरेश चन्द शर्मा – अभिभाषक वादीगण

2 प्रतिवादी बैक की ओर – रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक–13.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 2062 रकबा 0.13है0, वादीगण की खातेदारी थी तथा ख0नं0 257/0.15है0 अन्य की खातेदारी में थी, ख0नं0 2062 को पुराने नम्बर 1009/1 रकबा 11 बिस्वा से बना था। 2057 को पुराने नम्बर 1009/2 से बनाया जहॉ वादीगण काबिज है। वहॉ ख0नं0 2057 तथा जहॉ अन्य काबिज है। वहॉ पर ख0नं0 2062 तरमीम किया जावे न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को 2062/0.13है0 से वादीगण

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

का नाम हटाकर प्रतिवादीगण अन्य के नाम कर दिया तथा ख0नं0 2057 से अन्य प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी के नाम कर दिया। जिसका अमल भी रेवन्यू रिकार्ड में हो गया। चूंकि दोनो ख0नं0 अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम में रहन दर्ज थे तथा दुरूस्ती के बाद वादी द्वारा रहन मुक्त कराने को अप्रार्थी से कहा तो अप्रार्थी नं0 1 द्वारा पैसा लेकर ख0नं0 2062 को रहन मुक्त कर दिया। इस पर वादी द्वारा निवेदन किया कि मैने दुरूस्ती कराकर ख0नं0 2057 को अपने नाम करा लिया है। इसलिये ख0नं0 2057 को रहन मुक्त कर दो तो अप्रार्थी ने साफ इंकार कर दिया तथा बैक की राशि लेकर रहन की राशि लेकर ख0नं0 2062 को रहन मुक्त कर दिया है। जबकि उक्त आराजी से वादी का कोई संबंध किसी भी प्रकार का कभी नही रहा था तथा ख0नं0 2057 को रहन मुक्त नही किया। जबकि उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हमेशा से रही है और आज है। इसलिये दावा पेश किया है कि ख0नं0 2057 रकबा 0.15है0 ग्राम खेडी को रहन मुक्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया, अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जबाव पेश करते हुए कहा कथन किया कि ख0नं0 2062 रकबा 0.13है0 जो प्रार्थी की खातेदारी में था। उक्त ख0नं0 की खातेदारी इस सम्मानीय अदालत के आदेश से प्रार्थी के बजाय रामसिंह पुत्र दीपू हि. 5/32, बिला रहन, छुटटनलाल, रमेश चंद पुत्र दीपू हि0 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम, छुटटनलाल, रमेश चंद पुत्र दीपू हि0 1/16 बिला रहन, लोहडी पुत्री दीपू हि0 1/32, रामहरी, रामस्वरूप पिता रंगा हि0 1/2 की खातेदारी दर्ज की है। गिर्राज ने उक्त भूमि पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम से रहन मुक्त करा ली, जबकि ख0नं0 2057 रकबा 0.15है0 ग्राम खेडी की खातेदारी रामसिंह पुत्र दीपू हि. 5/32, बिला रहन, छुटटनलाल, रमेश चंद पुत्र दीपू हि0 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैक

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

शाखा टोडाभीम, छुटटनलाल, रमेश चंद पुत्र दीपू, हि0 1/16 बिला रहन, लोहडी पुत्री दीपू हि0 1/32, रामहरी, रामस्वरूप पिता रंगा हि0 1/2 के स्थान पर गिर्राज पुत्र छाज्या, जाति मीना, राहिन पंजाव नेशनल बैक शाखा टोडाभीम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त आराजी पर छुट्‌टनलाल, रमेश चन्द ने पंजाव नेशनल बैक से ऋण ले रखा है तथा उक्त आराजी बैक के हक में रहन दर्ज है। यदि ख0नं0 2057 को रहन मुक्त किया जाता है तो बैक का ऋण डूब जायेगा, बैक को आर्थिक क्षति होगी। न्यायिक आदेश में भी न्यायालय द्वारा ख0नं0 2057 को रहन रखा गया है।

मैने उभय पक्षकारान को सुना, पत्रांवली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया कि पूर्व में दोनो ख0नं0 2057 व 2062 पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम में रहन दर्ज थे। प्रार्थी द्वारा बैक में पैसा जमा कराकर अपने खाते को रहन मुक्त करा लिया है। जबकि ख0नं0 2057 जो प्रार्थी के खातेदारी में आया है। वह पूर्वानुसार ही रहन दर्ज है। अतः पंजाब नेशनल बैक शाखा प्रबंधक टोडाभीम को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.15है0 ग्राम खेडी का 6(1) घोषणा पत्र से उक्त खसरा नम्बर को हटावे तथा पुनः 6(1) घोषणा पत्र तैयार करे तथा इस खसरा नम्बर के संबंध में रहन मुक्ती का पत्र तहसीलदार टोडाभीम को जारी करे बैक चाहे तो पुनः लिमिट बना सकती है। इस निर्णय की एक प्रति पालना हेतु शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैक टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडाभीम व
इजलास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.A.S

उनवान

गिर्राज पुत्र धान्या
जाति मीना निवासी -
खेड़ी तहसील - टोडाभीम
करौली

बनाम

(1) पंजाब नेशनल बैंक टोडाभीम
जरिये प्रबन्धक पंजाब नेशनल
बैंक टोडाभीम जिला करौली
(2) तहसीलदार तहसील - टोडाभीम
जिला - करौली

मुकदमा नं० 153/ सन् 2017

दावा बाबत् रहन मुक्त आराजी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मेनजानिबे मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा नं 2057 रकबा 0.15 है ग्राम खेड़ी का 6(1) घोषणा पत्र से उक्त खसरा नम्बर को हटावे तथा पुनः 6(1) घोषणा पत्र तैयार करे। तथा इस खसरा नम्बर के सम्बन्ध में रहन मुक्ती का पत्र तहसीलदार टोडाभीम को जारी करे बैंक चाहे तो पुनः लिमिट बना सकती है। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक को टोडाभीम को भिजवायी जावे।

निज ---- मुबलिग ---- बाबत ---- खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ---- फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ---- का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 4 सन् 2018 200 को जारी की गई।

दस्तखत जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

ओहदा

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

Scanned by CamScanner